पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 179/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. बिरमदेव सिंह पुत्र मंगेजसिंह जाति राजपूत साकिन अजीतपुरा।
2. शुभकरण सिंह पुत्र मंगेजसिंह जाति राजपूत साकिन अजीतपुरा।
3. राजदेवसिंह पुत्र मंगेजसिंह जाति राजपूत साकिन अजीतपुरा।
4. श्री देवसिंह पुत्र मंगेजसिंह जाति राजपूत साकिन अजीतपुरा।
5. कलादेव सिंह पुत्र मंगेजसिह जाति राजपूत साकिन अजीतपुरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेरोकार राज एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 श्री दीवानसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम अजीतपुरा के खसरा सं0 1073 में 1.1630 है0 भूमि वर्तमान में बिरमदेव सिंह, शुभकरणसिंह, राजदेवसिंह, श्रीदेवसिंह, कलादेव सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि में से 900 वर्गमीटर भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा [illegible] मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। खर्चा वाद उभय पक्ष [illegible]

यह पर्चा डिक्री [illegible] 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 13:08:30 IST
Reason: SelfAttested

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ